

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 257 / 13

संस्थापन दिनांक : 15.05.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—सुनील पुत्र हरचरनसिंह यादव उम्र 34 साल,
निवासी लोहारपुरा मौ

2—रमेश पुत्र बैजनाथसिंह यादव, उम्र 34 वर्ष निवासी
देहगांव थाना मौ

3—राकेश पुत्र दर्शन यादव उम्र 32 वर्ष, निवासी
देहगांव थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 25(1)(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 23.12.12 को 10:30 बजे या उसके लगभग मौ गोहद रोड अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक अधिया 315 बोर लंबाई 2 विलाशत 6 अंगुल एवं एक जिंदा राउण्ड 315 बोर का अपने आधिपत्य में रखा।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.12 को 10:30 बजे फरियादी रामकिशोर शर्मा गश्त हेतु मय आर0 गुरुदास, आरक्षक लाखनसिंह, आर0 प्रदीप पचौरी अ0सा03, के मौ गोहद रोड पर पहुंचा तो सलमपुरा के आगे एक बुलेरो गाड़ी मंदिर के पास दिखी जिसे रोककर चैक किया तो उसमें बैठे तीन लोग पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हें घेरकर पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम सुनील पुत्र हरचरनसिंह यादव उम्र 34 वर्ष, निवासी लोहारपुरा, रमेश पुत्र बैजनाथसिंह यादव उम्र 40 वर्ष, राकेश पुत्र दर्शनसिंह यादव उम्र 32 वर्ष निवासी देहगांव को होना बताया। बुलेरो गाड़ी नंबर एम0पी0-33-डी.

0464 को चैक किया तो बीच की सीट के नीचे एक अधिया 315 बोर की, लंबाई 2 विलाशत 6 अंगुल की बट सहित बट की लंबाई 6 अंगुल की मिली जिसे रखने बाबत लाइसेन्स पूछने पर आरोपीगण ने न होना बताया । 315 बोर की अधिया व बुलेरो गाड़ी को मौके पर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-3 बनाया गया आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाये गये थाना वापिसी पर अप0क्र0 263/12 की एफ.आई.आर. लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया आयुध का परीक्षण कराकर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी और अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 23.12.12 को 10:30 बजे या उसके लगभग मौ गोहद रोड अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक अधिया 315 बोर लंबाई 2 विलाशत 6 अंगुल एवं एक जिंदा राउण्ड 315 बोर का अपने आधिपत्य में रखा ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी दिनेश कुमार ओझा अ0सा01 का कथन है कि वह दिनांक 16.04.13 को आर्म्स लिपिक के पद पर डी0एम0 कार्यालय में पदस्थ था पुलिस अधीक्षक भिण्ड की ओर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि अभियुक्तगण सुनील पुत्र हरचरनसिंह यादव निवासी लुहारपुरा थाना मौ व आरोपी रमेश पुत्र बैजनाथसिंह यादव निवासी देहगांव व आरोपी राकेश पुत्र दर्शनसिंह यादव निवासी देहगांव के आधिपत्य से एक अधिया 315 बोर की, एक राउण्ड 315 बोर का जप्त किये गये हैं जिनको रखने का अभियुक्तगण के पास वैध लाइसेन्स नहीं था। इस प्रकार उसके द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है जो धारा 25(1-बी)ए के अनुसार दण्डनीय है। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मौ में अप0क्र0 263/12 पंजीबद्ध है। प्रकरण में दिनांक 16.04.13 को प्र0आरक्षक नं0 863 रामकिशोर शर्मा ने उपस्थित होकर उनके द्वारा मूल केस जायरी एवं जप्तशुदा हथियार व कारतूस डी0एम0 महोदय के समक्ष अवलोकन कराये अवलोकन पश्चात वापिस किए गए। उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जो प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं व बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। उसने उनके अधीनस्थ कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है।
6. साक्षी सुरेश दुबे अ0सा02 का कथन है कि वह दिनांक 29.12.12 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ से अप0क्र0 263/12 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा एक 315 बोर की देशी अधिया एवं एक 315 बोर के राउण्ड की

जांच उसके द्वारा की गयी थी। उसके द्वारा जांच के दौरान अधिया का एक्शन चैक किया तो एक्शन सही पाया गया। अधिया चालू हालत में थी अधिया से फायर किया जा सकता था। एक 315 बोर का राउण्ड जिंदा चालू हालत में था जिसे फायर किया जा सकता था। थाना मौ से अधिया एवं राउण्ड सीलबंद प्राप्त हुआ। बाद जांच कर सीलबंद थाना मौ वापिस किया गया। उसके द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7. साक्षी प्रदीप पचौरी असा03 का कथन है कि वह आरोपी सुनील, राकेश, रमेश को जानता है। दिनांक 23.12.12 की बात है वह थाना मौ पर आरक्षक के पद पर पदस्थ था। प्र0आरक्षक रामकिशोर शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली। मुखबिर की सूचना पर रामकिशोर शर्मा उसे, गुरुदास व लाखन को लेकर सलमपुरा ग्राम के आगे एक मंदिर के पास पहुंचे तो गोहद साइड से एक बुलेरो गाड़ी आ रही थी पुलिस को देखकर वे लोग भागने लगे। उक्त गाड़ी का नंबर एम0पी0-33-डी.0464 था उक्त बुलेरो को सभी स्टाफ ने आगे रोककर पकड़ लिया फिर दीवानजी रामकिशोर ने बुलेरो में बैठे लोगों की तलाशी ली उसमें बैठे लोगों से नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम सुनील, रमेश, राकेश बताये थे। दीवानजी ने उनकी तलाशी ली तो आरोपीगण की तलाशी में कुछ नहीं मिला फिर गाड़ी की तलाशी ली तो उसकी बीच की सीट के नीचे एक अधिया थी जिसे दीवानजी ने खोलकर देखा उसके चेम्बर में एक राउण्ड भी मिला। दीवानजी ने आरोपीगण से लाइसेन्स के संबंध में पूछा तो आरोपीगण ने कोई लाइसेन्स न होना बताया। जो अधिया मिली थी वह 315 बोर की थी। मौके पर प्र0आरक्षक रामकिशोर शर्मा के द्वारा उक्त अधिया, राउण्ड व बुलेरो गाड़ी क्रमांक एम0पी0-33-डी.0464 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी-3 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण सुनील, रमेश, राकेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये थे एवं आरोपीगण को लेकर थाने आये थे। उससे घटना दिनांक को ही थाने में पूछताछ हुई थी।

8. प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी रामकिशोर की मृत्यु होने से अभियोजन साक्ष्य में परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है। अतः घटना के प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में मात्र साक्षी प्रदीप पचौरी की साक्ष्य अभिलेख पर है। प्रदीप अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपीगण की तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला था और प्रतिपरीक्षण में भी यही दोहराया है कि आरोपीगण के पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन मुख्यपरीक्षण में बताया है कि गाड़ी के बीच की सीट के नीचे एक अधिया मिली थी लेकिन प्रतिपरीक्षण में बताया है कि गाड़ी कौन चला रहा था उसे याद नहीं है और गाड़ी किसके नाम थी यह भी उसे नहीं मालूम। अभियोग पत्र के तथ्यानुसार भी वाहन के स्वत्व के संबंध में विवेचना नहीं की गयी है। अतः आयुध अभियोजन मामले के अनुसार आरोपीगण के व्यक्तिगत अधिपत्य से प्राप्त नहीं हुआ है अपितु सामान्य अधिपत्य की वस्तु वाहन से जप्त हुआ है। उक्त वाहन में आयुध होने का ज्ञान प्रत्येक आरोपी को था अथवा किस आरोपी द्वारा आयुध को सभी

आरोपीगण के ज्ञान में रखा गया इस बिन्दु पर अभियोजन साक्ष्य मौन है और आयुध वाहन स्वामी के ज्ञान में रखा गया इस संबंध में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। जबकि प्रदीप अ0सा03 को यह भी ज्ञान नहीं है कि घटना के समय कौन गाड़ी चला रहा था जबकि वह प्रत्यक्ष साक्षी है। अतः सामान्य अधिपत्य की वस्तु वाहन से आयुध प्राप्त होने पर प्रत्येक आरोपी के ज्ञान के तथ्य व स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में और घटना के समय वाहन कौन चला रहा था यह भी ज्ञान न होने से प्रत्येक आरोपी को आयुध के अधिपत्य से नहीं जोड़ा जा सकता है।

9. प्रदीप अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में यह नहीं बताया है कि प्रकरण में जप्त अधिया घटनास्थल पर सीलबंद की गयी और न ही सीलबंद किए जाने का उल्लेख जप्ती पत्रक प्र0पी-3 में है और न ही नमूना सील अंकित है। तब मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह स्वमेव नहीं माना जा सकता कि अधिया को घटनास्थल पर सीलबंद किया गया जबकि सुरेश अ0सा02 ने कथन किया है कि उसे सीलबंद अवस्था में अधिया व राउण्ड मिला था जोकि विरोधाभासी है आयुध की पहचान के संबंध में भी सुरेश अ0सा02 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि राउण्ड के पेंदे में एम.एम.के.एफ. लिखा था। जबकि जप्ती पत्रक प्र0पी-2 में ऐसे कोई शब्द नहीं लिखे गये हैं जिसका ध्यान भी साक्षी के प्रतिपरीक्षण पर आकर्षित कराया गया है। अतः आयुध सील होने के अभाव में भी वाहन से प्राप्त आयुध ही इस साक्षी को प्रेषित किया गया यह तथ्य जप्ती पत्रक प्र0पी-2 में राउण्ड के पेंदे में उल्लिखित शब्दों का लोप होने से स्पष्ट नहीं होता है। इस संबंध में दिनेश अ0सा01 ने भी प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने अधिया व राउण्ड नहीं देखा और न ही जिला दण्डाधिकारी को अवलोकन कराया। अतः अभियोजन स्वीकृति प्र0पी-1 भी बिना आयुध का परीक्षण किए दी गयी है जिससे वह विवेकपूर्ण नहीं मानी जा सकती है।
10. अतः घटना के स्वतंत्र प्रत्यक्ष साक्षी अभियोजन मामले में नहीं हैं। पुलिस साक्षी प्रदीप अ0सा03 के कथन पर अभियोजन का मामला निर्भर है क्योंकि जप्तीकर्ता अधिकारी की मृत्यु होने से परीक्षण नहीं कराया गया है। अभियोजन स्वीकृति प्र0पी-1 भी बिना आयुध का परीक्षण किए दी गयी है। वाहन से प्राप्त अधिया भी सील नहीं किया गया है जिसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है। जबकि सुरेश अ0सा02 ने अधिया सीलबंद प्राप्त होना बताया है। राउण्ड की पहचान के संबंध में भी सुरेश अ0सा02 के मौखिक कथन और जप्ती पत्रक प्र0पी-2 में विरोधाभास है। जप्त आयुध भी सभी आरोपीगण के ज्ञान में रखा गया इस संबंध में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी गयी है। प्रदीप अ0सा03 को यह भी याद नहीं है कि गाड़ी कौन चला रहा था और गाड़ी किसके नाम थी और उसने यह भी कथन किया है कि किसी आरोपी से हथियार जप्त नहीं हुआ था। तथा प्रत्येक आरोपी को आयुध के अधिपत्य से जाड़े जाने के लिए कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। वाहन सार्वजनिक उपयोग का था अथवा आरोपीगण के निजी उपयोग का था इस संबंध में भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों

से अभियोजन का मामला विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहता है कि आरोपीगण ने दिनांक 23.12.12 को 10:30 बजे या उसके लगभग मौ गोहद रोड अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक अधिया 315 बोर लंबाई 2 विलाश्त 6 अंगुल एवं एक जिंदा राउण्ड 315 बोर का अपने आधिपत्य में रखा।

11. परिणामतः आरोपीगण को धारा 25(1)(1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
12. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
13. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बुलेरो क्रमांक एम0पी0-33-डी.0464 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
14. प्रकरण में जप्त आयुध 315बोर की अधिया और 315बोर का राउण्ड अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)